

## नेशनल पावर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

एनपीटीआई निगमित कार्यालय

सेक्टर - 33, फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003

### अर्जित/परिवर्तित अवकाश/अवकाश की बढ़ौतरी हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम : -----
2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली : केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (संशोधित) नियम 2011
3. पदनाम : -----
4. कार्यालय का नाम तथा अनुभाग : -----
5. वेतन : -----
6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य पूरक भत्ते : -----
7. आवेदित छुट्टी का स्वरूप एवं अवधि तथा किस तारीख से छुट्टी चाहिए : -----
8. छुट्टी से पहले/बाद में यदि कोई शनिवार/रविवार/अवकाश लेने हो : -----
9. आधार जिस पर छुट्टी आवेदित की गई है : -----
10. पिछली बार ली गई छुट्टी से वापस आने की तारीख, उसका स्वरूप एवं अवधि : -----
11. मैं इस छुट्टी के दौरान ----- : -----  
ब्लाक वर्ष के लिए छुट्टी यात्रा रियायत लेना चाहता/नहीं लेना चाहता हूँ
12. (क) मैं वचन देता हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गए छुट्टी वेतन और औसत वेतन/आधे वेतन की छुट्टी से मिलने वाले अंतर की उस रकम को वापस कर दूंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उस दौरान मेरे सेवानिवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 8 (ख) (II) संशोधित छुट्टी नियमावली 1933 के नियम 11 (ग) (II) के लागू न होने पर अनुमत्य न होगी ।

मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने या सेवा से त्याग-पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सका जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो मैं उस अग्रिम छुट्टी के दौरान जो मूल नियम 8 (ग) संशोधित छुट्टी नियमावली 1933 के नियम 11 (घ) के लागू न किए जाने पर मुझे मिल पाती, मिले छुट्टी के वेतन को वापस कर दूंगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

छुट्टी के दौरान पता : -

-----  
-----

नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणी/सिफारिश

स्वीकृत